राज्य सूचना आयोग, जयपुर

ऑर्डर शीट

अपीलकर्ता.....प्रत्यर्थी.....

.....

.....अपील संख्या.....वर्ष.....

दिनांक	आदेश अपील संख्या : 220/2016	आदेश के अनुसरण में जारी पत्र की संख्या व तिथि

~~अपीलार्थी~~ ~~बनाम~~ ~~प्रत्यर्थी~~

श्री किशोरी लाल
मकान नं0 26,एस.बी.बी.जे.
कॉलोनी,मानसरोवर,मेट्रो
स्टेशन के पास,मानसरोवर,
जयपुर (राज.)

राज्य लोक सूचना अधिकारी
सचिव
ग्राम पंचायत गणेश्वर
पंचायत समिति नीम का थाना
जिला सीकर (राज.)

द्वितीय अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 13–10–2016

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह सचिव,उपस्थित।
3. प्रत्यर्थी पक्ष को सुना और मैंने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
4. अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02–05–2015 को विकास अधिकारी पंचायत समिति नीम का थाना को प्रस्तुत कर पंचायत समिति नीम का थाना के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में जनवरी 2009 से मार्च 2015 तक कौन कौन सी योजना के तहत कौन कौन से विकास कार्य करवाये गये ,कब–कब कितनी–कितनी राशि खर्च की गई उक्त कार्य किस–किस ठेकेदार से करवाये गये के सम्बन्ध में कुल 2 बिन्दुओं पर सूचना की अपेक्षा की थी। पंचायत समिति द्वारा पत्र क्रमांक 2316 दिनांक 11–05–2015 को 41 पंचायतों के ग्राम सचिवों को प्रार्थना पत्र का अंतरण किया गया। ग्राम पंचायत गणेश्वर से सम्बन्धित होने के कारण आवेदन प्रत्यर्थी को अन्तरण होकर आया तथा सूचना ना मिलने पर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील संस्थित हुए।
5. आयोग द्वारा जारी नोटिस के संदर्भ में प्रत्यर्थी ने दिनांक 21–03–2016 को अपीलोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पत्र दिनांक 20–10–2015 द्वारा पंजीकृत डाक से उपलब्ध करा दी गई है। इसकी प्रति भी आयोग को प्रेषित की।

दिनांक	आदेश	आदेश के अनुसरण में जारी पत्र की संख्या व तिथि
	6. सूचना प्रदत्त है। अपीलार्थी द्वारा प्रदत्त सूचना पर कोई अन्यथा प्रतिकार प्राप्त नहीं हुआ है तथा सुनवाई के समय भी उपस्थित नहीं हुआ। इससे यह माना जा सकता है कि वह प्राप्त सूचना से संतुष्ट है। 7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को अभिलेखानुसार सूचना प्रदान कर दी गई है लेकिन इसमें अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) का उचित पालन नहीं किया गया है। धारा 6 (1) के तहत यह आवेदक का दायित्व है कि वह वांछित सूचना से संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत करें। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी ने विकास अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर उनके अधीन समस्त पंचायतों की सूचना मांग ली। जबकि पंचायतों में ग्राम सचिव स्वयं लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित हैं। इस दृष्टि से विकास अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का समस्त 41 ग्राम पंचायतों के लोक सूचना अधिकारियों, ग्राम सचिवों, को धारा 6 (3) के तहत अंतरण भी अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत दूसरे लोक प्राधिकरण के केवल एक लोक सूचना अकिधकारी को ही प्रार्थना पत्र का अंतरण किया जा सकता है। धारा 6 (3) 'लोक सूचना अधिकारी ' का जिक्र एक वचन के रुप में है, बहुवचन के रुप में नहीं। अतः अपीलार्थी से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में धारा 6 (1) के तहत सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी के समक्ष ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही विकास अधिकारी से भी अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में एक साथ बहुत से लोक सूचना अधिकारियों को धारा 6 (3) के तहत प्रार्थना पत्र का अंतरण ना करें। 8. इस प्रकरण में अब अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने से अपील खारिज किया जाना समीचीन है। 9. अस्तु, वर्तमान अपील को उक्तानुसार विवेचन के साथ खारिज किया जाता है। 10. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ विकास अधिकारी,पंचायत समिति,नीम का थाना,जिला सीकर को भी प्रेषित हो। 11. निर्णय धोषित। (आशुतोष शर्मा) सूचना आयुक्त दौलत सिंह	